

शासकीय लाल कालिन्द सिंह महाविद्यालय अंतागढ़



जिला - उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़




Website:- www.govtlkscollegeantagarh.ac.in, Email:- glkdcollege_antagarh@yahoo.co.in



Scanned with OKEN Scanner

प्राचार्य की कलम से.....



अंतागढ़ छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर अंचल में माँ शीतला एवं आमाबुन्दीन दाई की ममता के छाँव में स्थित प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण सुन्दर नगर है। यह कांकेर जिला मुख्यालय से 80 कि.मी. एवं नारायणपुर से 50 कि.मी. दूर दुर्ग-नारायणपुर राजमार्ग पर स्थित है। शासकीय लाल कालिन्द सिंह महाविद्यालय अंतागढ़ 10 जुलाई 2006 को अस्तित्व में आया। प्रारंभ में सामुदायिक भवन में कक्षाएं शुरू हुईं, महाविद्यालय भवन का लोकार्पण 13 अगस्त 2008 को हुआ। अस्तित्व काल से ही महाविद्यालय ने सीमित संसाधन में छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण एवं क्षेत्र के विकास हेतु महती भूमिका निभाई है।

यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि उच्च शिक्षा के लिए आपने हमारे महाविद्यालय का चयन किया है। उच्च शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वगीण विकास है, जिस हेतु अवसर प्रदान करना, संसाधन जुटाना, परिवेश निर्मित करने का दायित्व संस्था का है एवं इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं।

अनुशासन सफलता की पहली सीढ़ी है। आप महाविद्यालय में विभिन्न गतिविधियों जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल-कूद, एन.एस.एस. निबंध प्रतियोगिता, रंगोली, भाषण, लेखन आदि का हिस्सा बन अपना व्यक्तित्व निर्माण कर समाज, अंचल एवं देश के विकास में महती भूमिका निभा सकते हैं। महाविद्यालय परिवार आपके सकारात्मक कार्य हेतु प्रत्येक क्षण आपके साथ है।

उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ....

(दीपक कुमार देवांगन)
प्रभारी प्राचार्य

महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक स्टाॅफ:-

क्र.	नाम	पदनाम	विषय	पदस्थापना तिथी
1	श्री दीपक कुमार देवांगन	सहा.प्राध्यापक (प्रभारी प्राचार्य)	सूक्ष्मजीव विज्ञान	05.01.2013
2	श्री भूषण कुमार देवांगन	सहा.प्राध्यापक	हिन्दी	07.01.2022
3	श्री बहादुर नेताम	सहा.प्राध्यापक	वाणिज्य	24.01.2022
4	श्री प्रशांत कुमार रंगारी	सहा.प्राध्यापक	अर्थशास्त्र	08.02.2022
5	श्री रोशन कुमार केमरो	सहा.प्राध्यापक	राजनीति विज्ञान	09.02.2022
6	श्री सचिन कुमार	सहा.प्राध्यापक	भूगोल	05.05.2022
7	श्री सुजीत	सहा.प्राध्यापक	प्राणी विज्ञान	25.05.2022

महाविद्यालय में कार्यरत अशैक्षणिक स्टाॅफ:-

क्र.	नाम	पदनाम	पदस्थापना तिथी
1	श्री महेन्द्र कुमार चौबे	प्रयोगशाला तकनीशियन	07.05.2010
2	श्री कैलाश चंद्र सोम	प्रयोगशाला तकनीशियन	13.05.2010
3	श्री रविशंकर नेताम	भृत्य	12.08.2009
4	श्री दशरूराम नाग	भृत्य	19.08.2010
5	श्री टेकेश्वर जैन	कम्प्युटर ऑपरेटर (जनभागीदारी)	01.01.2021

शासकीय लाल कालिन्द सिंह महाविद्यालय की स्थापना सन् 2006 में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के साथ हुई। इस महाविद्यालय का परिसर 10 एकड में फैला हुआ है। महाविद्यालय में आधुनिक विषय पाठ्यक्रमों की आवश्यकता के अनुरूप विषय संचालित है:-

महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम

क्र.	उपाधि	विषय	न्यूनतम योग्यता
1.	B.A.	1. राजनीति विज्ञान 2. भूगोल 3. अर्थ शास्त्र 4. आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा)	12 वीं पास
2.	B.Sc.	1. रसायन शास्त्र 2. वनस्पति शास्त्र 3. जन्तु विज्ञान 4. सूक्ष्मजीव विज्ञान 5. आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा)	12 वीं पास
3.	B.Com.	सभी अनिवार्य विषय	12 वीं पास

महाविद्यालय के संसाधन

1. ग्रंथालय:- महाविद्यालय में 10,000 पुस्तको की ग्रंथालय की व्यवस्था है। यहाँ विद्यार्थियों को उनके विषय संबंधित पुस्तकें प्रदान की जाती है।
2. प्रयोगशाला-महाविद्यालय में निम्नलिखित विषय हेतु प्रयोगशालाएँ उपलब्ध है - रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं भूगोल
3. वाई - फाई कैंपस:- महाविद्यालयीन स्टॉफ एवं छात्र/छात्राओं के लिए वाई - फाई इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है।
4. छात्र - छात्राओं के लिए छात्रावास सुविधाएँ:- सुदूर ग्रामीण अंचल से आने वाले छात्र/छात्राओं के लिए पोस्ट मेट्रिक बालक एवं बालिका छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है।
5. स्मार्ट क्लास रूम:- महाविद्यालय में 02 स्मार्ट क्लास रूम की सुविधा उपलब्ध है।
6. केन्टीन सुविधा:- महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के लिए न्यूनतम दर पर केन्टीन की सुविधा उपलब्ध है।
7. पार्किंग सुविधा:- महाविद्यालय में निःशुल्क साइकिल एवं वाहन पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है।

पाठ्यक्रमेत्तर सुविधा

1. राष्ट्रीय सेवा योजना:- महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के लिए एन.एस.एस इकाई संचालित है। जिसमें प्रतिवर्ष 100 स्वयं सेवक पंजीकृत होते है।
2. रेड क्रॉस:- महाविद्यालय में रेड क्रॉस समिति गठित है।
3. शुल्क संरचना:-

शासकीय शुल्क अंतर्गत		
1.	प्रवेश शुल्क	3.00
2.	टीसी शुल्क	2.00
3.	शिक्षक शुल्क	115.00
4.	प्रायोगिक शुल्क	20.00
योग:-		140.00
ST/SC (Boy & Girl)/ एवं किसी भी वर्ग के Girl के लिए शिक्षण शुल्क (115.00) रू. छूट रहेगी। (प्रायोगिक शुल्क केवल प्रायोगिक विषय वाले छात्र/छात्राओं को देय है।)		

अशासकीय शुल्क		
अ. समेकित निधि (AF) के अंतर्गत शुल्क		
1.	सम्मिलित निधि शुल्क	32.00
2.	स्नेह सम्मेलन शुल्क	80.00
3.	विकास निधि शुल्क	50.00
4.	छात्र संघ शुल्क	5.00
योग:-		167.00

(ब) PD के अंतर्गत शुल्क

5.	निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	10.00	प्रायोगिक विषय नहीं होने पर 50/- देय नहीं होगी।
6.	परिचय पत्र शुल्क	50.00	
7.	शारीरिक कल्याण शुल्क	150.00	
8.	ग्रन्थालय शुल्क	25.00	
9.	अवधान राशि (कॉशनमनी)	60.00	
10.	प्रायोगिक विकास शुल्क	50.00	
11.	रेडक्रॉस शुल्क	40.00	
12.	स्थानीय परीक्षा शुल्क	50.00	
13.	इको क्लब शुल्क	20.00	
योग:-		455.00	
जनभागीदारी शुल्क:-		300.00	
महायोग:-		1062.00	

प्रवेश संबंधी सूचनाएँ

- प्रवेश अर्हताकारी परीक्षा परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद प्रारंभ किये जाएंगे।
- स्थानीय आवेदकों को अपना आवेदन स्वयं जमा करना होगा तथा किसी भी प्रकार के डाक द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- आवेदकों को प्रवेश की सूचना व्यक्तिगत रूप से नहीं दी जावेगी प्रवेश हेतु चयनित आवेदकों के नाम सूचना पटल पर चस्पा किया जाएगा।
- महाविद्यालय में प्रवेश के लिए चयन होने के बाद ही शुल्क स्वीकार किये जाएंगे।
- यदि प्रथम सूची में स्थान प्राप्त आवेदकों ने प्रवेश नहीं लिया है तो प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।

ध्यान देने योग्य बातें

- किसी भी स्थिति में एक बार जमा किया गया प्रवेश शुल्क वापस नहीं लौटाया जाएगा।
- प्राचार्य की अनुमति होने से प्रवेश के लगभग 1 महीने तक संकाय परिवर्तन की अनुमति होगी इसके पश्चात संकाय (विषय) परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्र:-

- अर्हताकारी परीक्षा की अंकसूची की छायाप्रति।
- स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (मूल और एक छायाप्रति)।
- चरित्र प्रमाण पत्र मूल प्रति।
- जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- खेलकूद, एन.एस.एस. एन.सी.सी. इत्यादि से संबंधित प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- गैप प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक होने पर)।
- पात्रता प्रमाण (आवश्यक होने पर)।
- प्रवचन (माइग्रेशन) प्रमाण पत्र मूल प्रति (यदि आवश्यक हो)।
- रैगिंग के विरुद्ध वचन पत्र (प्रवेश के समय दिये गये निर्धारित प्रारूप में)।
- दो पासपोर्ट साइज फोटो।

महत्वपूर्ण नियम:-

निम्नलिखित में से किसी एक या अनेक कारणों से विद्यार्थी को महाविद्यालय से पृथक करने का अधिकार प्राचार्य को है:-

1. प्राचार्य के मतानुसार किसी विद्यार्थी की उपस्थिति संतोषप्रद न होने पर।
2. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय ऑरडिनेंस 1973 धारा 7 के अनुसार विश्वविद्यालयीन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
3. कक्षा में संतोषजनक प्रगति न होने पर।
4. प्राचार्य को यह अधिकार है कि बिना कारण बताए किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त कर दे और इस विषय में कानूनी कार्यवाही का अधिकारी किसी भी व्यक्ति को नहीं होगा।
5. विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन में यदि कोई तथ्य छिपाई जाये अथवा गलत ढंग से प्रस्तुत की जाती है तो विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।
6. छात्र-छात्राएं महाविद्यालय में अथवा महाविद्यालय के बाहर अनुशासन का उल्लंघन करते पाये जाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम है।

आचरण संहिता:-

1. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूरा ध्यान महाविद्यालयीन व्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन पर लगायेंगे तथा कार्यक्रमों में अपना पूर्ण सहयोग देंगे।
2. महाविद्यालय की संपत्ति, भवन, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था, सुरक्षा और स्वच्छता में प्रत्येक विद्यार्थी रूचि लेंगे और उन्हें बनाये रखने में सहयोग प्रदान करेंगे।
3. महाविद्यालय द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में समस्त छात्र/छात्राओं को सम्मिलित होना अनिवार्य है।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने साथियों और शिक्षकों से शिष्टाचार का पालन करेंगे और कभी भी अशिष्ट या अशोभनीय व्यवहार नहीं करेंगे।
5. यदि किसी छात्र/छात्रा को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो अपने प्राध्यापकों अथवा प्राचार्य को शांतिपूर्वक तरीके से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
6. परीक्षाओं में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर या प्रयत्न करने पर उसे गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

रैगिंग दण्डनीय अपराध (UGC) के नियमाली 2009 की कंडिका 7 एवं 9.1

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार रैगिंग दण्डनीय अपराध है, पूर्व में रैगिंग में लिप्त विद्यार्थियों को किसी भी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

अतः विद्यार्थी निम्न बिन्दुओं को ध्यान रखे:-

1. किसी विद्यार्थी के विरुद्ध रैगिंग की शिकायत मिलने पर उसके विरुद्ध तत्काल एफ.आई. आर दर्ज करवाई जाएगी।
2. निलंबन की कार्यवाही।
3. विश्वविद्यालयीन परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना।
4. रैगिंग के आरोपी विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा।

शासकीय लाल कालिन्द सिंह महाविद्यालय अंतागढ़

प्रति,

प्राचार्य

शासकीय लाल कालिन्द सिंह महाविद्यालय, अंतागढ़

महोदय,

मैं..... महाविद्यालय की कक्षा..... में प्रवेश हेतु सविनय प्रार्थी हूँ।

निम्नलिखित विवरण जो मेरे ज्ञानानुसार सत्य है मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ।

आवेदन के लिए:-

भवदीय

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

- 1.अ. आवेदक का पूरा नाम.....
पिता का नाम..... जाति.....
माता का नाम..... उपजाति.....
रक्त समूह..... धर्म.....
- ब. पता- 1. स्थायी.....
2. स्थानीय.....
मो.नं.....
2. जन्म तारीख (शब्दों में).....
3. जन्म स्थान..... जिला.....
राज्य..... राष्ट्रीयता.....
4. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी है, यदि हां तो किस स्थान का.....
5. पिता अथवा संरक्षक (यदि पिता जीवित न हो) का पूरा नाम एवं आवेदक का संबंध नाम..... संबंध.....
6. पिता/संरक्षक का व्यवसाय..... वार्षिक आय:.....
7. यदि पिता/संरक्षक स्थानीय न हो तो स्थानीय संरक्षक का पूरा नाम पता एवं आवेदक से संबंध-
(आ) पूरा नाम.....
(ब) पता.....
(स) संबंध.....

8. आवेदक द्वारा बोर्ड/महाविद्यालय परीक्षाएं जिसमें उत्तीर्ण हुआ हो या पूरक मिला हो-

परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	संस्था का नाम	वर्ष	श्रेणी	पूर्णक/प्राप्तांक	क्रमांक रोल नं.

9. आवेदन के अध्ययन के विषय-
1.
2..... 3.....
10. विश्वविद्यालय का नाम एवं नामांकन क्रमांक

11. गत पांच वर्षों में आवेदक का अध्ययन क्रम जारी रहा है, यदि नहीं तो कारण एवं अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे.....
12. शैक्षणिक पाठ्येत्तर गतिविधियां/खेलकूद/एन.सी.सी./समाज सेवा आदि गतिविधियों में आवेदक द्वारा अर्जित उल्लेखनीय उपलब्धियां/आवेदक को प्राप्त छात्रवृत्ति पुस्कार आदि का पूर्ण विवरण (प्रमाण-पत्र) संलग्न किया जाये).....
13. क्या छात्र छात्रावास में रहना चाहता है, नहीं तो उसके रहने की क्या व्यवस्था है
.....

19. संलग्न आवेदन की सूची-

1. विद्यालय/महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र 2. जन्म तारीख प्रमाण पत्र
3. निवास का प्रमाण पत्र 4. चरित्र प्रमाण पत्र (पिछली परीक्षा संस्थागत छात्र के रूप में उत्तीर्ण की है)
5. नियोक्ता की स्वीकृति 6. अनुसूचित जाति/जनजाति/विकलांग छात्र/माता पिता के छत्तीसगढ़ के तृतीय या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र 7. प्रवजन प्रमाण पत्र (यदि अन्य विश्वविद्यालय से आवेदक आया हो)
8. अंतिम परीक्षा की स्वप्रभाणित अंक सूची 9. परिचय प्रमाणपत्र के लिए दो कापी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा-

मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने महाविद्यालय की विवरणिका में दिये गये समस्त नियमों व्यवस्थाओं एवं आचरण संहिता का अध्ययन कर लिया है। अतः मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अध्ययनरत रहकर अपने कर्तव्यों, महाविद्यालय के नियमों एवं व्यवस्थाओं का पालन करता रहूंगा तथा महाविद्यालय में अथवा उसके बाहर एवं परीक्षाओं में किसी भी व्यवस्था या अनुशासनहीनता एवं हिंसात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कभी भाग नहीं लूंगा। मैं प्रत्येक मामले में प्राचार्य महोदय के निर्णयों का पालन करूंगा। मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैंने किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं है और न ही असत्य जानकारी दी है। उपरोक्त प्रतिज्ञा के उल्लंघन करने की स्थिति में मेरा प्रवेश निरस्त किया जाकर अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक.....

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

पिता या अभिभावक का घोषणा पत्र

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य द्वारा इस आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी सत्य है। महाविद्यालय विवरणिका के नियमों एवं व्यवस्थाओं का अध्ययन कर लिया है। मैं महाविद्यालय में उसके अध्ययनकाल में उसके आचरण कार्यों उपस्थिति तथा दिन - प्रतिदिन प्रगति और व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान दूंगा तथा इसके लिए मैं पूर्ण उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को पूर्ण सहयोग देता रहूंगा। महाविद्यालयीन शुल्क तथा अन्य शुल्क नियमपूर्वक तय किये गये समय में पटाऊंगा।

यदि मेरे पाल्य के लिए प्राइवेट ट्यूशन आवश्यक हुई तो प्राचार्य की सहमति से ही मैं महाविद्यालय के शिक्षक अथवा संस्था के शिक्षक की सहायता लूंगा।

स्थान.....

पिता/अभिभावक के पूर्ण
हस्ताक्षर



वचन पत्र

मैं.....पिता/पति.....

यह वचन देता/देती हूँ कि रैगिंग सहित किसी भी प्रकार की अनुशासन हीनता की कार्यवाही में संलिप्त नहीं रहूंगा/रहूंगी मैं महाविद्यालय की संपत्ति को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा/पहुंचाऊंगी।

मेरे द्वारा महाविद्यालय के नियमों तथा आदेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जावेगा। इस वचन पत्र के उल्लंघन की स्थिति में महाविद्यालय प्रशासन मुझ पर अनुशासनात्मक/वैधानिक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा तथा वचन पत्र के उल्लंघन की स्थिति में महाविद्यालय प्रशासन द्वारा की जाने वाली कार्यवाही मुझे मान्य होगी।

अस्तु आज दिनांक को अपने हस्ताक्षर कर यह वचनपत्र निष्पादित किया हूँ/की हूँ।

अंतागढ़

दिनांक.....

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

मो.न.

स्थानीय अभिभावक का घोषणा पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....पुत्र श्री

मेरा (विद्यार्थी से संबंध)..... है तथा मैं स्थानीय अभिभावक हूँ। तथा महाविद्यालय में अध्ययन के दौरान इसके आचरण एवं अनुशासन आदि के दायित्व का निर्वहन करता हूँ।

हस्ताक्षर स्थानीय अभिभावक

मो.न.

वचन पत्र

मैं शपथपूर्वक वचन देता हूँ कि मैंने इस महाविद्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य महाविद्यालय/ शिक्षण या प्रशिक्षण संस्थान में स्थाई/अस्थायी प्रवेश नहीं लिया है तथा वर्तमान में किसी अन्य संस्था में अध्ययनरत नहीं हूँ। तथा इस महाविद्यालय में अध्ययन के दौरान किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि गलत पायी जाती है तो मेरा प्रवेश तत्काल निरस्त करने का अधिकार शासन का होगा तथा शासन द्वारा उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही मेरे लिए की जा सकेगी जिसकी पूर्ण जवाबदेही मेरी होगी।

हस्ताक्षर अभिभावक

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

मो.नं.

(केवल कार्यालयीन प्रयोग के लिए)

आवेदन पत्र के समस्त प्रविष्टियों की जाँच कर ली गई है तथा इन्हे ठीक पाया गया है। उनमें निम्नलिखित अपूर्णताएँ हैं
तथा निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये गये हैं।.....

मुख्य लिपिक के हस्ताक्षर

(प्रवेश समिति के संयोजक प्राध्यापक की अनुशंसा)

1. आवेदक को निम्नलिखित कक्षा एवं विषय में प्रवेश हेतु अनुशंसा की जाती है-

कक्षा.....विषय 1..... 2.....

3

संयोजक

आदेश

आवेदक को कक्षा.....में निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन स्थायी
प्रवेश दिया जाता है। आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है।

प्राचार्य

आवेदन पत्र के साथ रूपये.....रसीद क्र.....दिनांक.....द्वारा
प्राप्त हुआ।

गणक

प्रवेश पत्र निर्गमित किया गया। आवेदन पत्र अस्वीकृत करने की सूचना दी गई।

संयोजक/प्राध्यापक प्रधान संरक्षक

क्रमांक

श्री.....का प्रवेश के लिए आवेदन पत्र.....

.....सहित प्राप्त हुआ।

महाविद्यालय में सक्रिय समिति/प्रकोष्ठ:-

1. आंतरिक गुणवत्ता एवं आश्वासन प्रकोष्ठ।
2. जन भागीदारी समिति।
3. एण्टी रैगिंग समिति एवं अनुशासन समिति।
4. पालक शिक्षक संघ।
5. भूतपूर्व विद्यार्थी मंच।
6. रेड क्रॉस समिति।
7. महिला उत्पीडन निरोधी समिति।
8. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ।
9. अनुसूचित जाति, जनजाति प्रकोष्ठ।
10. महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ।
11. तृतीय लिंग भेदभाव निरोधी प्रकोष्ठ।
12. प्लेसमेंट एवं गाईडेन्स प्रकोष्ठ।
13. समान अवसर प्रकोष्ठ।

प्रेवश हेतु निर्धारित सीट संख्या विवरणः (शासन निर्धारित)

(1) कला संकाय

(आधार पाठ्यक्रम/राजनीति/अर्थशास्त्र/भूगोल)

बी.ए. भाग प्रथम: सीट संख्या - 66

बी.ए. भाग द्वितीय: उक्त

बी.ए. भाग तृतीय: उक्त

(2) विज्ञान संकाय:

(विषय आधार पाठ्य./रसायन शास्त्र/प्राणि शास्त्र/वनस्पति विज्ञान/माइक्रोबायोलॉजी)

बी.एस.सी. भाग प्रथम : सीट संख्या 50

बी.एस.सी. भाग द्वितीय : उक्त

बी.एस.सी. भाग तृतीय : उक्त

(3) वाणिज्य संकाय:

(विषय आधार पाठ्य.तथा सभी अनिवार्य विषय)

बी.कॉम. प्रथम: सीट संख्या 30

बी.कॉम. भाग द्वितीय : उक्त

बी.कॉम. भाग तृतीय : उक्त

जनभागीदारी समिति (सामान्य सभा)

अध्यक्ष	-	श्री दुर्गेश ठाकुर	सदस्य	-	श्री भुवनेश्वर उड़के
उपाध्यक्ष	-	कलेक्टर/कलेक्टर प्रतिनिधि	सदस्य	-	श्री मुकेश ठक्कर
सचिव	-	पदेन प्राचार्य (श्री दीपक कुमार देवांगन)	सदस्य	-	श्री अभिषेक श्रीवास्तव
सदस्य	-	सांसद प्रतिनिधि	सदस्य	-	श्री सुरेश सलाम
सदस्य	-	श्रीमती कांति नाग	सदस्य	-	श्री दिलिप दुग्गा
सदस्य	-	श्री अनीश खान	सदस्य	-	श्री रामलाल खांडेकर
सदस्य	-	श्री घनश्याम यादव	सदस्य	-	श्री सूर्यकांत यादव
सदस्य	-	श्री अखिलेश चंदेल	सदस्य	-	श्री करन कोमरे
सदस्य	-	श्री विश्राम गावड़े			



शासकीय लाल कालिन्द सिंह महाविद्यालय अंतागढ़

जिला - उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़

